अनुदान संख्या 76 – विद्युत मंत्रालय
GRANT No. 76 - MINISTRY OF POWER

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	18956,36,00		19534,36,00	18642,59,44	-891,76,56
पूरक	Supplementary	578,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					890,40,19
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3365,92,00		3365,93,00	2492,50,60	-873,42,40
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					873,42,40

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹89176.56 लाख) मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹57800.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹89176.56 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹57800.00 lakhs obtained in March, 2020 and constituted 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads :-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	157292.00			
पू.	S.	20000.00	..	..	..
पु.	R.	-177292.00			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"				
विद्युत	Power				
मू.	O.	1733505.00			
पू.	S.	37800.00	1859889.30	1859765.07	-124.23
पु.	R.	88584.30			

(I) ₹177296.00 लाख का प्रावधान (₹20000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹177292.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "ग्रामीण विद्युतीकरण – अन्य व्यय – ग्रामीण विद्युतीकरण और फीडर पृथक्करण" – ₹26750.00 लाख;

(खा) "पारेषण और वितरण – निदेशन और प्रशासन" –

(क) "विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण" – ₹136542.00 लाख (₹20000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(ख) "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के लिए विद्युत वित्त निगम" – ₹14000.00 लाख ।

(I) Provision of ₹177296.00 lakhs (including supplementary grant of ₹20000.00 lakhs) remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹177292.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Rural Electrification - Other Expenditure - Rural Electrification and Feeder Separation" - ₹26750.00 lakhs;

(B) "Transmission and Distribution - Direction and Administration" -

(a) "Strengthening of Power Systems" - ₹136542.00 lakhs (including supplementary grant of ₹20000.00 lakhs); and

(b) "Power Finance Corporation for Integrated Power Development Scheme" - ₹14000.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षो को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2801" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(II) Under Major Head "2801" - savings occurred under the following heads:-

(का) "जल विद्युत – अन्य व्यय – पकल डूल परियोजना – जेकेएसपीडीसीएल" – ₹2893.00 लाख की बचत (₹35178.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती के जाने के कारण हुई।

(A) "Hydel Generation- Other Expenditure - Pakal Dul Project-JKSPDCL" - saving of ₹2893.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35178.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "पारेषण और वितरण" –

(B) "Transmission and Distribution" -

(क) "विद्युत विकास प्रणाली – राष्ट्रीय लोड डिसपैच केन्द्र – पीएसडीएफ से पूरी होने वाली विद्युत प्रणाली विकास के लिए स्कीम" – ₹47937.69 लाख की बचत (₹103470.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती के जाने के कारण और पिछले वर्ष अव्ययित शेष की उपलब्धता होने की वजह से हुईं।

(a) "Development of Power Systems-National Load Despatch Centre-Scheme for Power System Development to be met from PSDF" - saving of ₹47937.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹103470.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and availability of unspent balances of previous year.

(ख) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – एकीकृत विद्युत विकास स्कीम" – ₹7923.62 लाख की बचत (₹38411.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शहरी क्षेत्रों में केवल स्कीम के कार्य करने की वजह से कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(b) "Tribal Area Sub-Plan-Integrated Power Development Scheme" - saving of ₹7923.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38411.00 lakhs) was due to receipt of less claims owing to functioning of the scheme only in urban areas.

(ग) "आरक्षित निधियों/जमा लेखे को अंतरण – विद्युत प्रणाली विकास निधि को अंतरण" – ₹47938.69 लाख की बचत (₹103471.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय लोड डिसपैच केन्द्र (नोडल एजेंसी) से कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(c) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to Power System Development Fund (PSDF)" - saving of ₹47938.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹103471.00 lakhs) was due to receipt of less claims from National Load Despatch Centre (Nodal Agency).

(घ) "अन्य व्यय – विद्युत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹5604.71 लाख की बचत (₹13715.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने की वजह से कार्यान्वयन एजेंसियों से कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(गा) "सामान्य" –

(क) "प्रशिक्षण – अनुसंधान और प्रशिक्षण" – ₹4009.29 लाख की बचत (₹6900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के चालू दो परियोजनाओं के संशोधित अनुमानित लागत को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "अनुसंधान और विकास – अनुसंधान और प्रशिक्षण" – ₹2200.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष कार्यान्वयन एजेंसी के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(ग) "विद्युत संरक्षण अधिनियम 2003 – सांविधिक प्राधिकरण" – ₹7320.00 लाख की बचत (₹19437.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग से कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(घ) "विद्युत संरक्षण अधिनियम 2001 का कार्यान्वयन – संरक्षण और ऊर्जा दक्षता" – ₹1668.43 लाख की बचत (₹21337.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ईएपी स्कीम–बीईई–जीईएफ–डब्ल्यूबी एमएसएमई परियोजना के पूर्व समापन और चुनाव में आचार संहिता लागू किए जाने की वजह से पुरस्कारों और चित्रकारी प्रतियोगिता की वजह से कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(d) "Other Expenditure-Strengthening of Power Systems" - saving of ₹5604.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13715.00 lakhs) was due to receipt of less claims from implementing agencies owing to availability of unspent balances of previous year.

(C) "General" -

(a) "Training- Research and Training" - saving of ₹4009.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6900.00 lakhs) was due to non-finalisation of revised cost estimates of two ongoing projects of National Power Training Institute.

(b) "Research and Development - Research and Training" - saving of ₹2200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with implementing agency.

(c) "Administration of Electricity Act 2003 - Statutory Authorities" - saving of ₹7320.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19437.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipts of less claims from Central Electricity Regulatory Commission.

(d) "Administration of Energy Conservation Act 2001 - Conservation and Energy Efficiency" - saving of ₹1668.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21337.00 lakhs) was due to pre-closure of EAP Scheme - BEE-GEF-WB MSME Project and requirement of less funds towards Awards and Painting competition owing to imposing of code of conduct in elections.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹216095.26 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2801" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹57800.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(I) "पारेषण और वितरण" –

(का) "निदेशन और प्रशासन" –

(क) "अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सदृढ़ीकरण" – ₹80000.00 लाख।

(ख) "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना" – ₹43000.00 लाख;

(ग) "पूर्वोत्तर क्षेत्र क लिए विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के लिए विश्व बैंक अनुदान" – ₹34000.00 लाख।

(खा) "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम – एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के लिए विद्युत वित्त निगम" – ₹14346.13 लाख।

(II) "ग्रामीण विद्युतीकरण – दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति पृथक्करण" – ₹44749.13 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹44749.12 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

2. The above savings were partly (₹216095.26 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹57800.00 lakhs under Major Head "2801" - under the following heads:-

(I) "Transmission and Distribution" -

(A) "Direction and Administration" -

(a) "Strengthening of Transmission System in the States of Arunachal Pradesh and Sikkim" - ₹80000.00 lakhs.

(b) "Power System Improvement Project for NER" - ₹43000.00 lakhs.

(c) "World Bank Grant for Power System Improvement Project for NER" - ₹34000.00 lakhs.

(B) "Integrated Power Development Scheme-Power Finance Corporation for Integrated Power Development Scheme" - ₹14346.13 lakhs.

(II) "Rural Electrification - Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana - Rural Electrification and Feeder Separation" - ₹44749.13 lakhs. Actual excess, however, was ₹44749.12 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	68400.00			
			..	..	..
पु.	R.	-68400.00			
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	32728.00			
पू.	S.	1.00	18297.20	18297.20	..
पु.	R.	-14431.80			
मुख्य शीर्ष "6552"	Major Head "6552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Loans for North Eastern Areas				
मू.	O.	9000.00			
			..	..	..
पु.	R.	- 9000.00			
मुख्य शीर्ष "6801"	Major Head "6801"				
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	Loans for Power Projects				
मू.	O.	226464.00			
			230953.40	230953.40	..
पु.	R.	4489.40			

(I) ₹90481.00 लाख का प्रावधान पाँच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹90480.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(I) Provision of ₹90481.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these ₹90480.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" – "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – सीपीएसई को सहायता" – ₹68400.00 लाख – आर्थिक मामले पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड के विनिवेश के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय न लिए जाने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

(A) Major Head "4552" - "Diesel/Gas Power Generation-Investments in Public Sector and Other Undertakings-Assistance to CPSEs" - ₹68400.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-finalisation of disinvestment proposal of North Eastern Electric Power Corporation Limited by Cabinet Committee on Economic Affairs.

(खा) मुख्य शीर्ष "4801" –

(क) "जल विद्युत उत्पादन – अन्य व्यय – सक्षम अवसंरचना" – ₹6500.00 लाख – परियोजना के लिए संवितरण निधियों के लिए दिशानिर्देश एवं प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय न लिए जाने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण थे।

(ख) "ताप विद्युत उत्पादन – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम" – ₹6580.00 लाख – कोयला क्षेत्र अधिग्रहण में कुछ लक्ष्य प्राप्ति के कारण थे।

(B) Major Head "4801" -

(a) "Hydel Generation - Other Expenditure-Enabling Infrastructure" - ₹6500.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-finalisation of the guidelines and procedure for disbursement of funds for the project.

(b) "Thermal Power Generation- Investments in Public Sector and Other Undertakings - National Thermal Power Corporation of India" - ₹6580.00 lakhs - due to fewer targets achieved in acquisition of Coal Bearing Areas.

(गा) मुख्य शीर्ष "6552" – "विद्युत परियोजनाओं को कर्ज – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज – विद्युत वित्त निगम – एकीकृत विद्युत विकास स्कीम" के लिए – ₹9000.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(C) Major Head "6552" - "Loans to Power Projects - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Power Finance Corporation - for Integrated Power Development Scheme" - ₹9000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "4801" – "सामान्य – अन्य व्यय – विद्युत प्रणाली सुदृढ़ीकरण" – ₹1350.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(II) Under Major Head "4801" - "General - Other Expenditure - Strengthening of Power Systems" - saving of ₹1350.00 lakhs (against the sanctioned

नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना के अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "6801" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना विद्युत वित्त निगम – एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के लिए" – ₹1842.90 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान के लिए); और

(खा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों का अंतरण – सीआरएंडआईएफ से पूरा किया गया आईपीडीएस स्कीम को अंतरण" – ₹2255.30 लाख की बचत (₹90000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत विद्युत वित्त निगम से कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुईं।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "6801" – "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण – विद्युत वित्त निगम – एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के लिए" – के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹8635.30 लाख का अधिक व्यय (₹60000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "6552" से निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-approval of Establishment of Renewable Energy Management Centre.

(III) Under Major Head "6801" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Tribal Area Sub-Plan-Power Finance Corporation - for Integrated Power Development Scheme" - saving of ₹1842.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs); and

(B) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Transfer to IPDS Scheme met from CR&IF" - saving of ₹2255.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹90000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims from Power Finance Corporation.

4. The above savings were offset by excess under Major "6801" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Power Finance Corporation - for Integrated Power Development Schemes" - excess of ₹8635.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "6552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.